

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2026/196719/HAP/HAPUR/2737/CFO

दिनांक: 24-04-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DELHI CITY SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NO 258M VILL- SIMROLI, DELHI MORADABAD ROAD HAPUR, SIMROLI, DELHI MORADABAD ROAD HAPUR, HAPUR** तहसील - **HAPUR**, प्लाट एरिया **9958.70 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4249.08** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वैसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **DELHI CITY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-04-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GAUTAM ARYA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रशंगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग ग्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-05-2026** से **30-04-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **DELHI CITY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **DELHI CITY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की संस्तुति सहित स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन **NBC-2016/उप्र अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022** नियमावली-2024 अनुसार एनओसी निर्गत किया जा रहा है, 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उत्सर्धन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(AJAY KUMAR SHARMA)

[D8EA1A49D028E05517D3180119D7E88BB2365486]

01-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-05-2026

स्थान : HAPUR

Chairman
Delhi City School
NH-09 Simrauli Hapur (U.P.)

Principal
Delhi City School
NH-09 Simrauli, Hapur (U.P.)